न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] 16/2022

22.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

09.06.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 11.06.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11.06.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक [illegible] पत्रावली किया गया। इसी अनुसार [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तक[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2022	2022 / 29	02.02.2022	11.06.2025

उनवान प्रकरण

1. मोहनलाल पुत्र भगवानसहाय आयु 60 वर्ष जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी श्रीमरामनगर वाली तन ग्राम मण्डूस्या तसहील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—वादी—

बनाम्

1. प्रभात पुत्र बोदूराम आयु 40 वर्ष
2. धोलूराम पुत्र बोदूराम आयु 35 वर्ष
3. पप्पूराम पुत्र बोदूराम आयु 30 वर्ष
4. हंसाराज पुत्र बोदूराम आयु 25 वर्ष
5. झिमकी देवी पत्नी बोदूराम आयु 68 वर्ष

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीगण ढाणी श्रीरामनगर वाली तन गग्रम मण्डुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः—
श्री जे.पी. गुर्जर, एड0 वादी अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.20 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मण्डुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। उक्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी काश्त की हैं वादी की उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है। प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1003 के सीमावर्ती काश्तकार है और वादी अकेला गरीब व्यक्ति है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त कृषि भूमि को हडपने की नियत से नाजायज गिरोह बनाकर आये दिन वादी उक्त कृषि भूमि को सीमाओं को तोडकर अतिक्रमण करते आ रहे है। दिनांक 24.11.2021 को उक्त प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने को आमादा होने पर वादी ने उक्त प्रतिवादीगण का प्रतिरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादी के साथ मारपीट करने लग गये वादी के साथ उक्त प्रतिवादीगण द्वारा मारपीट की रिपोर्ट वादी ने पुलिस मुकामी थाना अजीतगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 369/2021 को दर्ज करवाया। जिसमें पुलिस मुकामी ने अनुसंधान कर प्रतिवादीगण प्रभात वगैरह के विरूद्ध न्यायालय ए.सी.जे.एम.साहब क्र.सं. 2 श्रीमाधोपुर में आरोप पत्र पेश किया गया है जिसमें मुकदमा सीआईएसा नम्बर 1498/2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रभात वगैरह विचाराधीन है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 11.03.2022 नियत है उक्त [illegible] की वजह से प्रतिवादीगण वादी व उसके परिवारजन से बेवजह [illegible] प्रकारेण वादी की उक्त भूमि को जबरन लठ व ताकत के बल पर [illegible] कर वादी को बरबाद करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

चाहते है तथा वादी के उक्त भूमि में जोर जबरन ताकत के बल पर वादी को आतंकित कर परेशान कर वादी की उक्त भूमि पर जबरन सींव तोड़ कर अतिक्रमण कर कच्चा या पक्का निर्माण करने पर आमादा है तथा बिना किसी अधिकार बीच के शांतिपूर्ण काश्त एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने एवं वादी को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि में जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर अतिक्रमण निर्माण करने की धमकी देते रहते तथा इस बाबत आये दिन प्रतिवादीगण वादी से झगड़ा–फिसाद करते रहते है। प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने के नाजायज फायदा उठाकर वादी की कृषि भूमि में सींव खुर्द बुर्द कर अनाधिकृत प्रवेश कर जबरन कब्जा करने एवं अवैध रूप से अतिक्रमण कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, जिसका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसी मंशा की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण अर्सा करीब 5 दिन पूर्व एक साथ एकराय होकर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में मजाहमत करने व जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी देने लगे तथा कहा कि हम तुम्हारी उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करेगे व निर्माण करेगे और तुम्हे तो यहा से ताकत के बल पर भगा देगे तुम्हे काश्त करने देगे जिसा प्रतिवादीगण को किसी प्रकार को कोई कानूनी अधिकार नही है। दिनांक 24.11.2021 से निरन्तर प्रतिवादीगण द्वारा उकत कृषि खातेदारी भूमि पर जबरन अवैध रूप से अतिक्रमण कर बेदखल करने पर आमादा होने पर वादी के प्रतिरोध करने पर वादी के साथ मारपीट करने की घटना से आज तक निरन्तर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर बेदखल करने की धमकी देने व इस प्रकार को कृत्य करने से वादी कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है दावा हस्ब कानून अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस्तदुआ वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादपत्र में सन्दर्भित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.20 ... वाके तन ग्राम मण्डूरया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 पर कोई अतिक्रमण नही करे ना ही कोई निर्माण कच्चा या पक्का करे ना ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे ना दीगर से करावे ना उक्त भूमि की सींव डोल को खुर्द बुर्द या तोडे ना ही ऐसा कोई कृत्य या करावे जिससे वादी के विधिक हक हकूको पर कोई विपरीत असर पडता हो। वादी ने यह वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण का न्यायालय में पेश किया है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणं को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 5 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चूकी है, बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी साक्ष्य में वादी मोहनलाल पुत्र भगवानसहाय का व साक्ष्य गवाह में सीताराम पुत्र छाजूराम व राधेश्याम पुत्र मदनलाल के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए गए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादी ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकंरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड दस्तावेजात,, साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् द्वारा पेश शपथ पत्रों व दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अंवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.20 हैक्टर तन ग्राम मण्डुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 05 आपस में पडोसी खातेदार होना [illegible] होता है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त खेत की सीमा को [illegible] पडौसी [illegible] विवाद का उल्लेख किया है जिसकी ताईद वादी साक्ष्य में वादी मोहनलाल पुत्र भगवानसहाय व साक्ष्य गवाह में सीताराम पुत्र छाजूराम व राधेश्याम पुत्र मदनलाल के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्रों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है कि तन् ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.20 हैक्टर के उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक दूसरे की भूमि में दखलअंदाजी नहीं करें ना ही मौके पर शांति व्यवस्था को भंग करें। यह कि उभय पक्ष एक–दूसरे की भूमियों की सींवडोल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तथा यदि वादी का कब्जा काश्त वादग्रस्त जायगा पर है तो प्रतिवादीगण उसमें मजाहमत नहीं करेंगे तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर विधिवत आवेदन पर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमियों के सीमाज्ञान की कार्यवाही कर दोनो पक्षों की सीमा का ज्ञान करवा देवें। इस आदेश की पालना में किसी प्रकार के कब्जा हटाये व दिलाने की कार्यवाही नहीं की जाएगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:11 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)